FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

(1)

अज अदालत सहायक कलक्टर (SDC) बायतु .... मुकाम ....

निम्बाराम वगैरा .... बनाम .... खेतु देवी वगैरा

किस्म मुकदमा 88, 92(ग), 188 RT Act नं. 43/18 सन् 2018

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.03.2018	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री नरपत पुरोहित, ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 88, 92(ग), 188 राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी /प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 04.04.18 को पेश हो। सहायक कलक्टर (SDC) बायतु	
04/04/18	वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादीगण के सम्मन तामिल शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या-1 स्वयं उपस्थित। प्रतिवादी संख्या-1 की ओर से वकील श्री खेताराम जाखड़ द्वारा वकालतनामा मय इकबालिया जवाबदावा पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। अत: पत्रावली वास्ते वादी साक्ष्य दिनांक 09.4.18 को पेश हो। सहायक कलक्टर (SDC) बायतु	खेतु निम्बाराम L.T.I. जालूराम

Scanned by CamScanner

09/04/18 वादी व प्रतिवादी संख्या- 1 के वकील उपस्थित। वादी वकील द्वारा वादी साक्ष्य के रूप में वादी संख्या- 1 PW-1- नीम्बाराम पुत्र श्री खेमाराम जाति- जाट निवासी- बांकनाडी पटवार मण्डल- बायतु पनजी तहसील- बायतु जिला- बाड़मेर व वादी संख्या- 2 PW-2- जालुराम पुत्र श्री खेमाराम जाति- जाट निवासी- बांकनाडी पटवार मण्डल- बायतु पनजी तहसील- बायतु जिला- बाड़मेर व स्वतंत्र गवाह PW-3 रिड़मलराम पुत्र श्री विशनाराम जाति- जाट निवासी- बायतु पनजी तहसील- बायतु जिला- बाड़मेर के शपथ-पत्र पेश किये गये तथा प्रतिवादी साक्ष्य के रूप में वादीनी संख्या- 1 DW-1- खेतुदेवी पुत्री नारणाराम जाति- जाट निवासी- बांकनाडी पटवार मण्डल बायतु पनजी तहसील- बायतु जिला- बाड़मेर, DW-2- विशनाराम पुत्र लिछमणाराम जाति- जाट निवासी- केसुम्बला भाटियान तहसील- गिड़ा जिला- बाड़मेर व DW-3- सोनाराम पुत्र श्री मोटाराम जाति- जाट निवासी- बांकनाडी तहसील- बायतु जिला- बाड़मेर व DW-4- खेताराम पुत्र श्री थमाराम जाति- जाट निवासी- बांकनाडी पटवार मण्डल- बायतु पनजी तहसील- बायतु जिला- बाड़मेर के शपथ-पत्र पेश किये गये जिसे शामिल पत्रावली किया गया। वादी का वाद संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वादीगण एवम प्रतिवादी संख्या-1 एक ही परिवार के सदस्य है एवम रिश्ते में प्रतिवादी संख्या- 1 खेतु वादीगण के सगे भाई नारणा की पुत्री है व खेमा के वंशज है वादीगण व प्रतिवादी संख्या-1 हिन्दू विधि से शासित है। जिनका संयुक्त हिन्दू अविभाजित परिवार है वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या-1 स्व. श्री खेमाराम के वंशज है। व वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 का संयुक्त अविभाजित परिवार है जिसमें प्रतिवादी संख्या- 1 खेतु के पिता नारणा संयुक्त

खेतु
नीम्बाराम
सोनाराम
रिड़मलराम
(खेताराम चौधरी)
पूर्व सरपंच
बायतु पनजी
(विशनाराम)
(नरपतसिंह)
(K.R. Dakhar)
Adv

सहायक कलक्टर (SDO)
बायतु

हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज (3)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	हिन्दु अविभाजित परिवार में वादीगण के सबसे बड़े भाई होने के नाते परिवार के मुखिया व कर्ता थे एवम संयुक्त हिन्दू अविभाजित परिवार की हैसियत से खसरा नम्बर 679/559 (मूल खसरा नम्बर 559) रकबा- 48.13 बीघा भूमि संयुक्त व वादीगण के संयुक्त परिवार की हैसियत से पैतृक रूप से बेचानकर्ता खीमा वल्द केसरी कौम महाजन से प्रतिवादी संख्या- 1 के दादा द्वारा प्रतिवादी संख्या- 1 के पिता के नाम क्रय की गई थी जो प्रतिवादी संख्या 1 के पिता नारणा के नाम से जरिये पंजिबद्ध बेचान दिनांक- 27.11.1971 को क्रय की गई थी जो भूमि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के पिता नारणा की संयुक्त व पैतृक भूमि थी जिसमें वादीगण का क्रमशः 1/3 - 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 के पिता नारणा का 1/3 हिस्सा बनता है और उसी अनुरूप वादीगण अपने 1/3 - 1/3 हिस्से की भूमि पर संयुक्त हिन्दू अविभाजित परिवार की आय से क्रय की गई भूमि पर वक्त खरीद से काबिज है। व काश्त करते आ रहे है। लेकिन वादीगण के भाई नारणा का निधन वर्ष 1976 में हो गया था। एव वादीगण के भाई नारणा के निधन के पश्चात फौतगी नामान्तरकरण संख्या 315 दिनांक 22/09/1977 को भरा गया जिसमें स्व० नारणा के विधिक वारिसान में वादीगण व प्रतिवादी संख्या-1 होने के कारण वादीगण के पक्ष में नामान्तरकरण खोला गया लेकिन राजस्व अधिकारियों व हल्का पटवारी की भूलवश नामान्तरकरण संख्या 315 पर यह टिप्पणी अंकित कर दी गई कि स्व० नारणा के उत्तराधिकारी में उसकी पुत्री प्रतिवादी संख्या 1 खेतू जीवित है जिस कारण उसका नाम राजस्व रेकर्ड	

सहायक कलक्टर (SDO)

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहलकार हुक्म की तामील में जारी हुआ
	(4)	

में अमल दरामद किये जाना आवश्यक है एवम् उसके अनुसार नामान्तरकरण संख्या 315 में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम दर्ज करते वक्त वादिया व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3-1/3 हिस्सा दर्ज न कर राजस्व अधिकारियों ने राजस्व रेकर्ड में खेतु पुत्री नारणा पत्नी निम्बा, जालू पिसरान खेमा अंकित कर दिया जिस कारण वादग्रस्त आराजी में वादिया का व प्रतिवादी संख्या- 1 का 1/3-1/3 हिस्सा पृथक से स्पष्ट रूप से दर्ज नहीं हो पाया लेकिन वादिया वादग्रस्त आराजी खेत खसरा नम्बर 679/559 (मूल खसरा नम्बर 559) रकबा- 48.13 बीघा जो वादिया की पैतृक व संयुक्त हिन्दु अविभाजित परिवार की सम्पत्ति है तथा उक्त भूमि में 1/3-1/3 हिस्से की भूमि का वादिया व प्रतिवादी संख्या- 1 बराबर के हकदार है व 1/3-1/3 हिस्से की भूमि पर काबिज है जिसमें ढाणियें, छोड़े, चार बाड़े व पशु बाड़े बने हुए हैं।

कि वादिया के भाई नारणा के निधन के पश्चात अपनी पैतृक व संयुक्त हिन्दु अविभाजित परिवार की भूमि में राजस्व अधिकारियों की भूल वंश स्पष्ट 1/3-1/3 हिस्सा राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं हुआ और प्रतिवादी संख्या 1 के तत्समय नाबालिग होने के कारण व हैसियत पत्नी वादिया का नाम प्रतिवादी संख्या- 1 के साथ उसके पत्नी की हैसियत से दर्ज हो गया जबकि राजस्व रेकर्ड में खेतु पुत्री नारणा, निम्बा, जालू पिता खेमा ना॰बा॰ की पत्नी निम्बा, जालू पिता खेमा दर्ज होना था जो कि राजस्व रेकर्ड में खेतु पुत्री नारणा पत्नी निम्बा, जालू पिता खेमा दर्ज हो गया जो की गलत दर्ज हो गया जिससे साफ तौर से अंकित हिस्सों का राजस्व रेकर्ड में ध्यान नहीं पड़ता है।

सहायक कलक्टर (SDO)

Scanned by CamScanner

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

इसलिए वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा- बांड्रामी पटवार हल्का बायतु पनजी तहसील बायतु जिला- बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 679/559 (मूल खसरा नम्बर 559) रकबा- 48.13 बीघा भूमि में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 प्रत्येक को 1/3-1/3 हिस्सा खातेदारी का घोषित किया जावे का निवेदन किया गया।

वादीगणो का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के सम्मन तामील हुआ प्राप्त। प्रतिवादी संख्या 2 से कोई किसी प्रकार की इत्तला नहीं चाही गई अनुपस्थित होने के कारण औपचारिक पक्षकार बनाया गया। प्रतिवादी संख्या- 1 की ओर से वकील श्री खेताराम जाखड़ द्वारा वकालातनामा मय ईकबालिया जवाब दावा पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा उक्त आराजी में वादीगण का 1/3-1/3 हिस्सा व 1/3 हिस्सा स्वयं अपना खातेदारी का होना बताया जाकर सहमति जाहिर की गई कि उक्त आराजी खसरा नम्बर 679/559 रकबा- 48.13 बीघा भूमि में वादीगण प्रत्येक को 1/3-1/3 हिस्से की भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है तो मुझे कोई उजर एतराज नहीं है। तथा शेष 1/3 हिस्सा मुझ प्रतिवादिनी संख्या 1 का खातेदारी का रहेगा। वादी वकील द्वारा वादी साक्ष्य के रूप में वादीगण स्वयं PW-1 व PW-2 के शपथ-पत्र व स्वतंत्र गवाह PW-3- रिड़मलराम पुत्र किशनाराम जाति- जाट निवासी- बायतु पनजी तहसील- बायतु जिला- बाड़मेर का शपथ-पत्र पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी वकील द्वारा प्रतिवादी साक्ष्य के रूप में प्रतिवादी संख्या- 1 DW-1- खेतु देवी पुत्री नारणाराम

(हस्ताक्षर)
सहायक कलक्टर (SDO)
बायतु

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की ... में जारी हुआ

(6)

जाति-जाट निवासी-बोंकनाडी तहसील-बायतु जिला-बाड़मेर व स्वतंत्र गवाह DW-2-किशनाराम पुत्र श्री भिखाराम जाति-जाट निवासी-केहरपुरा ... तहसील-गिड़ा जिला-बाड़मेर जो प्रतिवादी संख्या 1 खेतुदेवी के पति है। DW-3-सोनाराम पुत्र मोहराम जाति-जाट निवासी-बोकनाडी तहसील-बायतु जिला-बाड़मेर व DW-4-खेताराम पुत्र श्री धर्माराम जाति-जाट निवासी-बोकनाडी (पूर्व सरपंच बायतु पनजी) तहसील-बायतु जिला-बाड़मेर के शपथ-पत्र पेश किये गये जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

हमने पत्रावली, पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकर्ड, व प्रतिवादी संख्या-1 द्वारा प्रस्तुत इकबालिया जवाबदावा तथा वादी व प्रतिवादी साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत शपथ-पत्रों का अवलोकन किया गया। प्रतिवादीनी संख्या-1 द्वारा अपने इकबालिया जवाबदावा व प्रस्तुत साक्ष्य शपथ-पत्र में बताया की वादीगण रिश्ते में मेरे चाचा लगते है। व मेरे चाचा वादीगण संख्या 1 व 2 का उक्त अराजी में 1/3-1/3 हिस्सा है जिस पर वादीगणों की ढाणिये, टांके, पशु बाड़े व चार बाड़े बने हुए है। व लगातार कब्जा काश्त है। इसलिए वादीगणों को मौजा-बांकनाडी के खेत खसरा नम्बर-679/559 रकबा-48.12 बीघा भूमि में 1/3-1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तो मुझ प्रतिवादीनी संख्या-1 को कोई ऐतराज नही है व इसके लिए मैं सहमत हुं तथा शेष 1/3 हिस्सा मुझ प्रतिवादीनी संख्या-1 खेतुदेवी का रहेगा। तथा शेष वादी साक्ष्य PW-1 से PW-3 व प्रतिवादी साक्ष्य DW-2 से DW-4 के द्वारा भी बताया की उक्त आराजी में 1/3-1/3 हिस्सा प्रत्येक वादीगण व 1/3 हिस्सा प्रतिवादीनी संख्या-1 का है जिस पर आज दिनांक तक अपने-अपने हिस्से पर कब्जा काश्त है तथा रहवास भी है। इसलिए वादीगण प्रत्येक को

सहायक कलक्टर (SDC)

Scanned by CamScanner

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए | हुक्म

हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

1/3-1/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या-1 को 1/3 हिस्से की भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे का भी निवेदन किया गया। प्रस्तुत साक्ष्य शपथ-पत्रों के साथ फाईली पुलन्दा लिये गये व वादीगण; प्रतिवादीगण, वादी व प्रतिवादी साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत गवाहों के अंगुष्ठ निशान व हस्ताक्षर करवाये गये।

अतः दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के निवेदन पर तथा साक्ष्य सबूतों के आधार पर मौजा-बांकनाडी पटवार मण्डल-बायतु पनजी तहसील बायतु जिला-बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर-679/559 (मूल खसरा नम्बर-559) रकबा-48.13 बीघा भूमि में वादीगण प्रत्येक को 1/3-1/3 हिस्सा व प्रतिवादिनी संख्या 1 को 1/3 हिस्सा की भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार बायतु निर्णय अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करें। डिग्री पर्चा जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर (SDC)
बायतु

Scanned by CamScanner

नम्बर व अहकाम व हुक्म की तामील में जारी हुए

Jud/Civil
Part IV-10

डिकरी व मुकदमे इब्तदाई

अदालत सहायक कलक्टर एवं S.D.O. श्री हेतराम चौहान R.A.S. मुकाम बायतु

निम्बाराम पुत्र ... बनाम खेतू देवी पत्नी ...

बाबत रा. वा. 88, 188, 92 ए RTAct

मुकदमा नं. 43/18 सन् 2018

यह मुकदमा आज इनाफिसाल कलई रूबरू न्यायालय

व हाजरी श्री नरपत पूनड़ एड० मिनजानिब मुदई व —

श्री खेताराम जाखड़ एड० मिनजानिब मुदायली पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा - कोड़नाड़ी पटवार मण्डल - बायतु पनजी तहसील - बायतु जिला - बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर - 679/559 (मूल खसरा नम्बर 559) रकबा - 48.13 बीघा भूमि में वादीगण प्रत्येक को 1/3 - 1/3 हिस्से व प्रतिवादीनी संख्या - 1 को 1/3 हिस्से की भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार बायतु इस निर्णय अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल-दरामद करें। खर्चा वाद पक्षकारान अपना - अपना वहन करें।

कौम ... मुबलिंग ... बाबत ...

खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शरह ... फीसदी सालाना आज की तारीख से

तारीख वसूलयाबी तक ... को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 09 माह 04 2018 को जारी की गई।

मुहर (सहायक कलक्टर (SDO) बायतु)

दस्तखत [signature]
सहायक कलक्टर (SDO)
ओहदा बायतु

मुदई	रूपया	पै.	मुदई	रूपया	पै.
स्टाम्प अजीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील पर		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमीशनर			फीस कमीशनर		
बाबत इजराल हुकमनामा			बाबत इजराज हुकमनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजाना		

नोट इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

Scanned by CamScanner

वादीगण

1. नीम्बाराम पुत्र खेमाराम
2. जालूराम पुत्र खेमाराम

जातियान - जाट

निवासियान - बांडनाडी

तहसील - बायतु

जिला - बाड़मेर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. खेतु देवी पुत्री नारणा जाति जाट निवासी बांडनाडी
2. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार बायतु

सहायक कलक्टर (SDO)

बायतु

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु